

उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
रामनारायण बजाज महावीर

70/2021

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

3.01.25

आप पत्रावली पेश हुई वकील
उभय पक्ष उपस्थित वास्तु जबाब व
तबदी दिनांक 19.02.2025 को पेश हो

Mand
उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

19.02.25

आप पत्रावली पेश हुई वकील
वादी व वादी को रूक-रुक कर कई
बार आवाप्य दिलायी गयी किन्तु कोई
भी उपस्थित नहीं हुए वकील वादी को
आवाप्यी सं. 3 व 4 की तबदी कतने हेतु
तलवाजा दफ्तर पेश करते हेतु कई अवसर
दिने जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में यह
प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद को
चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः वादी का वाद अदालत
दखली व अदालत पेशी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली फौजदारी शुल्क देकर
दारखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया

Mand
उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)